

## आदेश

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011 के अंतर्गत जिला पदाधिकारी, गया के पत्रांक(कॉलम 4 में वर्णित)से दुर्घटना में मृत 01 श्रमिक के आश्रित को ₹ 100000/- (एक लाख रूपए) एवं 03 श्रमिकों के स्वाभाविक मृत्यु के उपरांत आश्रितों को ₹ 30000/- (तीस हजार रूपए) प्रति कामगार की दर से ₹ 90000/- (नब्बे हजार रूपए) अर्थात् कुल राशि ₹ 190000/- (एक लाख नब्बे हजार रूपए) मात्र भुगतान हेतु अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के आलोक में मृतक/दावेदार कामगारों के आश्रितों को स्वीकृत राशि की विमुक्ति का आदेश दिया जाता है। मृतक/दावेदार कामगारों/शिल्पकारों का नाम, उनके आश्रितों का नाम एवं पता तथा बैंक लेखा संख्या निम्नांकित है:-

क्र. सं.	मृतक/दावेदार, पिता/पति का नाम, कोटि	आश्रित का नाम( संबंध )	जिलाधिकारी/श्रम अधीक्षक का पत्रांक/दिनांक	पता	आश्रित का बैंक खाता संख्या	बैंक एवं शाखा का नाम, आई. एफ.एस.सी	स्वीकृत अनुदान की राशि	मृत्यु/ निःशक्तता का ख्यारा, कार्य की प्रकृति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	स्व० डोमन पासवान, 48, स्व० विशुन पासवान, अनु० जाति	श्रीमती कौशल्या देवी(पत्नी)	1219/20.12.19	ग्रा०-मस्तलीपुर, पो०-वारागनर, था०-मुफसिल, प्र०-मानपूर, गया	34089960589	भारतीय स्टेट बैंक, SBIN0005611	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, रोजा मजदूर
2	स्व० अशोक राम, 62, स्व० गया राम, पि० वर्ग	श्रीमती राधिका देवी(पत्नी)	1218/20.12.19	ग्रा०-बंधुआ, पो०-सोहेपुर, था०-मुफसिल, प्र०-मानपूर, गया	00098100003415	बैंक ऑफ बड़ौदा, BARBOMANPUR	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, होटल में नारता देनेवाले व्यवसाय में कामगार मजदूर
3	स्व० सत्येन्द्र यादव, 51, स्व० रघु यादव, पि० वर्ग	श्रीमती मंजू देवी(पत्नी)	1217/20.12.19	ग्रा०-शेख बिगहा, पो०-बिहटा, था०+प्र०-खिंजरसरन, नालंदा	72620700013396	मध्य बिहार ग्रामीण बैंक PUNBOMBGBC 6	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, कृषि मजदूर
4	स्व० भरत साव, 53, स्व० जागो साव, पि० वर्ग	श्रीमती चिंता देवी(पत्नी)	1216/20.12.19	ग्रा०-धुसूण्डा, पो०-नौरगा, था०-मुफसिल, प्र०-मानपूर, गया	74441700005479	मध्य बिहार ग्रामीण बैंक PUNBOMBGBO 6	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, कपड़ा फेरी कर बेचना

कुल :- ₹ 190000/-

(एक लाख नब्बे हजार रूपए मात्र)

2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011" के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।

3. उपरोक्त स्वीकृत अनुदान राशि (कॉलम नं० 8)का भुगतान RTGS के माध्यम से कॉलम नं० 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 6 में किया जाएगा।

4. प्रस्ताव पर सभापति-कार्यकारिणी समिति, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति-सह-अपर मुख्य सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना का संचिका सं० श्रम क० सं०-38/2019 के पृष्ठ-05/टि० पर अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(डा० गणेश कुमार झा)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(धर्मेन्द्र सिंह)

कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :-श्रम क० सं०-34/2019

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 8 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित

करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे।

ह0/-

(डा0 गणेश कुमार झा)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह0/-


(धर्मेन्द्र सिंह)


कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :- श्रम क० स०-34/2019-48

पटना, दिनांक :- 20-02-2020

प्रतिलिपि :- लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि ₹ 190000/- (एक लाख नब्बे हजार रूपए) का बैंक से अंतरण के पश्चात लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे/श्रम अधीक्षक, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/जिला पदाधिकारी, गया को सूचनार्थ प्रेषित/आई0टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

  
(डा0 गणेश कुमार झा)  
मुख्य वित्त पदाधिकारी

  
(धर्मेन्द्र सिंह)  
कार्यकारी निदेशक।